

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-2998/71-1-13-जी-393/2013
लखनऊ : दिनांक 3/ दिसम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के विरुद्ध प्रवक्ता, एनेस्थीसिया विशिष्टता में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-167/04/सेवा-8/2012-13, दिनांक 30.11.2013 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 06 अभ्यर्थियों को वेतन बैंड रू0 15600-39100, ग्रेड पे रू0 5400/- में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उपर्युक्त अभ्यर्थी को प्रवक्ता के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर प्रदत्त शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- (2) संबंधित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- (3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- (4) उपर्युक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- (5) उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 तथा यथासंशोधित नियमावली के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- (6) उपर्युक्त अभ्यर्थी का यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होंगे:-

- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हो, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाणपत्र (संलग्न प्रारूप में)।
- (2) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथपत्र (संलग्न प्रारूप में)।
- (3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण-पत्र।
- (4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
- (5) चल तथा अचल संपत्ति का प्रमाण-पत्र।
- (6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।

3- उपर्युक्त अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य चिकित्सा परिषद से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर प्रमाण पत्र संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/संस्थान के निदेशक को प्रस्तुत करेंगे। स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र अनुकूल होने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

4- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जाएगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।

जे0 पी0 शर्मा
प्रमुख सचिव

संख्या-2998(1)/71-1-13, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर डाल दे।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, झॉंसी, आगरा, मेरठ तथा इलाहाबाद।
4. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, झॉंसी, आगरा, मेरठ तथा इलाहाबाद।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. वित्त नियंत्रक, संबंधित मेडिकल कालेज, झॉंसी, आगरा, मेरठ तथा इलाहाबाद।
7. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
19/4
(शिवराम त्रिपाठी)
उप सचिव

कार्यालय ज्ञाप संख्या-2998 / 71-1-13-जी-393 / 2013

दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 का संलग्नक

क्र०	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	श्रेणी	स्थायी निवास का जनपद	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम, जहाँ तैनाती की गयी है
1.	सुश्री छवि सेठी पुत्री स्व० श्री एस० के० सेठी, पता-जे-41, अजय एन्क्लेव, महाकाली विद्यापीठ रोड, झाँसी, उ०प्र० पिन- 284002	सामान्य	झाँसी	मेडिकल कालेज, झाँसी
2.	श्रीमती अमृता गुप्ता, पत्नी डा० अवनीश कुमार सक्सेना, पता-89, विमल वाटिका, कर्मयोगी एन्क्लेव के पास, कमला नगर, आगरा, उ०प्र० पिन-282005	सामान्य	आगरा	मेडिकल कालेज, आगरा
3.	श्रीमती अर्पिता सक्सेना पत्नी अपूर्व अभिनन्दन मित्तल, पता-31/85, शास्त्री मार्केट, लौहार गली, आगरा, उ०प्र० पिन-282003	सामान्य	आगरा	मेडिकल कालेज, आगरा
4.	श्री तन्मय तिवारी पुत्र श्री सुबोध कुमार तिवारी पता-सी-33, न्यू आजाद नगर, कल्याणपुर, कानपुर, उ०प्र० पिन-208017	सामान्य	कानपुर	मेडिकल कालेज, मेरठ
5.	श्री राजीव पुरी, पुत्र श्री सतीश चन्द पुरी पता-द्वारा किशन सिंह कश्यप, 2/346, नमनर, आगरा, कैण्ट आगरा, उ०प्र०, पिन-282001	अनुसूचित जाति	आगरा	मेडिकल कालेज, आगरा
6.	श्री मनोज कुमार गिरी पुत्र श्री उमेश चन्द्र गिरी पता-4/1223, कोदोपुर, वाजिदपुर, न्यू कालोनी, रामनगर, वाराणसी, उ०प्र०, पिन- 221008	अन्य पिछड़ा वर्ग	वाराणसी	मेडिकल कालेज, इलाहाबाद


 (शिवराम त्रिपाठी)
 उप सचिव